<u>न्यायालय उ0 सिविल जज(वरीय कोटि)–II, कहलगॉव, भागलपुर</u>

<u>दीवानी वाद संख्या–112/2012</u>

मो0 मीणा देवी व अन्य ....(वादीगण)

बनाम

अभय मंडल व अन्य..(प्रतिवादीगण)

आदेश

<u>02.09.2025:–</u>

वादी एवं प्रतिवादी की ओर से हाजिरी दी गयी। वाद का पुकार किया गया। पुकार पर वादी के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हुए। उनके द्वारा दिनांक 01.05.2025 का प्रतिस्थापन आवेदन U/O- 22 Rule- 04 read with section 151 Cpc को प्रचालित कर प्रार्थना करते है कि इस वाद के प्रतिवादी सं0 01 अभय कुमार मंडल की मृत्यु दिनांक 01.12.2023 को हो गयी है। जो अपने पीछे अपनी पत्नी गीता देवी, एकमात्र पुत्र सिट्टु कुमार एवं दो पुत्री संतोषी देवी एवं शिवानी कुमारी को छोड कर गये है। वाद मे उचित न्यायनिर्णयन के लिए प्रतिवादी सं0 01 के उतराधिकारियों की उपस्थिति आवश्यक है। अतः न्यायहित मे प्रतिवादी सं0 01 के नाम को वादपत्र से विलोपित कर उनके कानूनन वारिसानो के नामो को उनके स्थान पर प्रतिस्थापित करने हेतु उचित आदेश पारित करने की कृपा की जाय। वादी के आवेदन दिनांक 01.05.2025 पर प्रतिवादी की ओर से No Objection अंकित किया गया है।

सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वादी का प्रतिस्थापन आवेदन जो कि शपथ पत्र से समर्थित है। परन्तु विलम्ब से दाखिल किया गया है। साथ ही वादी की ओर से विलम्ब के condonation हेतु U/s- 05 of limitation act का आवेदन दाखिल किया गया है। वाद की समुचित विनिश्चयन एवं वाद के दृष्टिकोण से प्रतिस्थापन आवेदन को delay condone करते हुऐ स्वीकृत किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः वादी का प्रतिस्थापन आवेदन मो0 300/– रू0 हरजा की राशि के साथ **स्वीकृत** किया जाता है। हरजा की राशि प्रतिवादी को देय होगी।

कार्यालय आवेदनानुसार प्रतिवादी सं0 01 का नाम वाद पत्र से विलोपित कर उनके वारिसानो का नाम प्रतिस्थापित करे। वाद दिनांक 04.11.2025 वास्ते वादी हरजा की राशि प्रतिवादी को देय हेतु एवं मृतक प्रतिवादी सं0 01 के वारिसानो के उपस्थिति हेतु नोटिस की आपेक्षीताऐ दोनो माध्यम से दाखिला हेतु उपस्थित रहे।

उ0 सिविल जज(वरीय कोटि)-II
कहलगॉव(भागलपुर)